महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) – द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh

सत्यमेव जयते

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / उत्तराखण्ड–01 / 2019–20 दिनांकः– 24.04.2019

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी

विषयः– **राज्य सरकार के ऐसे सिविल / पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को मंहगाई राहत दिनांक 01.07.2018 से 07% से बढाकर 09% तथा 01.01.2019 से 09% से बढाकर 12% की स्वीकृति।**

संदर्भः–
1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त पत्रांक पी.ए. / पेंशन / मंहगाई राहत / उत्तराखण्ड / 2018–19 / 4520 दिनांक 29.03.2019
2. सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–7, संख्या 249/XXVII(7)02/2016 दिनांक 19.09.2018
3. सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–7, संख्या 81(1)/XXVII(7)02/2016 दिनांक 07.03.2019
4. सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–7, संख्या 79(1)/XXVII(7)02/2016 दिनांक 07.03.2019

उपरोक्त विषय में लेख है कि सचिव, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–7 से प्राप्त आदेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.agmp.cag.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

लेखा अधिकारी / पेंशन

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / उत्तराखण्ड–01 / 2019–20 दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून–248195 के पत्र दिनांक 29.03.2019 के संबंध में सूचनार्थ।

– sd /–

लेखा अधिकारी / पेंशन

Address : Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002
Phone : 0751-2323968
Fax : 0751-2432194

पता : लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर – 474002
दूरभाष : 0751–2323968
फैक्स : 0751–2432194

SP-76455684I (32)

000361

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2018-2019/ 4520 दिनांक- 29.08.19

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलॉंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बैंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उडीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पॉंडीचेरी	पॉंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

कार्या. महालेखाकार (ले.एवं हकदारी) पंजीकृत 10 APR 2019 महालेखाकार ग्वालियर मध्यप्रदेश

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2018-19 -

दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हक़.) कार्यालय

विषय- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियो के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत दिनांक:1 जुलाई 2018 से 07% से बढाकर 9% तथा 1 जनवरी 2019 से 9% से बढाकर 12% की स्वीकृति |

संदर्भ :- (1) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-7, संख्या-249/XXVII(7)02/2016 दिनांक:19/09/2018

(2) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-7, संख्या-81(1) XXVII(7)02/2016 दिनांक:07/03/2019

(3) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-7, संख्या-79(1) XXVII(7)02/2016 दिनांक:07/03/2019

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं | आपसे अनुरोध है, कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं|

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

M.D. Tauday

29.03.2019

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

(32)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या– ⁄ / XXVII(7)02/16
देहरादून: दिनांक 19 सितम्बर, 2018

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- / /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 19 September, 2018

कार्यालय ज्ञाप

Office Memorandum

विषयः राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: **Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–147 /XXVII(7)02/2016 दिनांक 09 मई, 2018 द्वारा स्वीकृत दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2018 से 07 प्रतिशत के स्थान पर 09 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-07-2018 @ 7% instead 9% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 147/XXVII(7)02/2016 Dated 09 May, 2018 for those pensioners whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective.

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252 /दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

5. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(Amit Singh Negi)
Secretary

DR-160
dt-27.09.19

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या– – / XXVII(7)02 / 2016
देहरादूनः दिनांकः 07 मार्च, 2019

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- – /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 07 March, 2019

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–249/XXVII(7)02/2016 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 द्वारा स्वीकृत दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 09 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2019 @ 9% instead 12% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 249/XXVII(7)02/2016 Dated 19 September, 2018 for those pensioners whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the judges of Honble High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective Deptt.

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Amit Singh Negi)
Secretary

संख्या– 248 /XXVii(7)02 / 2018

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांक 07 मार्च, 2019

विषयः राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दरों का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–248 / XXVII(7) / 02 / 2016 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, राजकीय विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के ऐसे कार्मिकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2019 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन के 9% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 12% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त कर्मियों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक (सेवानिवृत्त एवं 06 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को नगद भुगतान) की बढ़ी हुई धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी तथा माह अप्रैल, 2019 का वेतन, जो माह मई, 2019 में देय होगा से नकद भुगतान किया जायेगा। अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10% पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी।

3. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत लागू रहेंगे।

4. उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्तवत् स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

क्रमशः.....2